न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 113/2023

प्रार्थीनी :– लीलादेवी पत्नी भंवराराम जाति पटेल, निवासी थोब, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सीमादेवी पत्नी श्री केराराम जाति पटेल, निवासी अराबा उडो,तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।
2. चैनाराम पुत्र राणाराम जाति पटेल, निवासी चाली, तह0 लुणी, जिला बाडमेर ।
3. शेराराम पुत्र हुकमाराम जाति चौधरी निवासी रामनगर थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :– 1. श्री ओम सिंह राजपुरोहित , प्रार्थीनी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 4 एक पक्षीय

<u>'आदेश'</u> दिनांक :– 27.6.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:49 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि [illegible]नी [illegible] खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामनगर, पटवार क्षे[illegible] थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 652/539 रकबा [illegible]3984 हैक्टेयर किस्म बा.अ. अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.
3.

रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया विप्रार्थीगण नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीनी की कृषि भूमि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 652/539 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बा.अ. आई हुई है । जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 652/539 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बा.अ.भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीनी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न [illegible] सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 652/539 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बा.अ.जिला बाडमेर मे भूमि प्रार्थीनीकी खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर मे खेत खसरा संख्या 652/539 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबं दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीसं 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 27.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:49 IST
Reason: SelfAttested